



2026:AHC:48615

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-7583 सन् 2026

मो० मंसूर खान

..... याचिकाकर्ता

बनाम

ऐनुल एवं 12 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: शीतेन्द्र कुमार मिश्र

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी.एस .सी,भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी,

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2-प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी उक्त आदेश से स्वयं को आहत/प्रभावित महसूस करता/करती है, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3-वर्तमान याचिका में याची द्वारा मूलतः यह राहत मांगी गई है कि उप-जिलाधिकारी, सदर जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वे मूल वाद संख्या 335 सन् 1994 (मो० मंसूर खान बनाम अब्दुल वका एवं अन्य) का शीघ्र निस्तारण करें।

4-यह प्रकरण प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज दिनांक तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उप-जिलाधिकारी, सदर जौनपुर उपर्युक्त वाद का **विधि के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें, वरीयता के आधार पर,**

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा वाद के गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

10 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।